

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना संख्या-5/सू.अ.-18-02/2015-

राँची, दिनांक :-

—: अधिसूचना :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों के आधार पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के निमित्त विभागीय आदेश सं.- 1235 दिनांक 09.04.2015 के आलोक में श्री संजय शरण, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को जन सूचना पदाधिकारी अधिसूचित किया जाता है।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(रविशंकर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 5/सू.अ.-18-02/2015-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- श्री संजय शरण, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(रविशंकर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 5/सू.अ.-18-02/2015-

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के आप्त सचिव/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग, राँची/ संयुक्त सचिव(प्र.)/ संयुक्त सचिव(अभि.)/ सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(रविशंकर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 5/सू.अ.-18-02/2015-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

ह0/-
(रविशंकर)
सरकार के उप सचिव